निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 118 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **<u>कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, अल्मोड़ा</u>** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

<u>कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, अल्मोड़ा</u> के माह अप्रैल से फरवरी 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के. मट्टू, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17-03-2017 से 24-03-2017 तक में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.सी. कटियार एवं श्री आर.एन. यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.05.2011 से 12.05.2011 तक श्री जे.एम.एस.रावत, लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण दिनांक 09.05.2011 से 12.05.2011 तक में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह जून 2008 से मार्च 2011 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह अप्रैल 2011 से फ़रवरी 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   क्रियाकलापः- नहरों/बाढ़ कार्यों का संचालन एवं मरम्मत कार्य कराते हुये कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना तथा क्षेत्रीय जनता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जल संवर्धन कार्यों द्वारा लाभ पहुंचाना इत्यादि।

   भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- धौला देवी, लमगड़ा, तकुला, भइसियाछाना, हवलबाग का क्षेत्र विकास खण्ड के अन्तर्गत सिंचाई से संबंधित कार्य।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2011-12	-	-	69.07	69.07	587.78	574.32	-	13.46
2012-13	-	-	39.32	39.32	320.35	312.50	-	7.85
2013-14	-	-	100.00	100.00	361.88	356.71	-	5.17
2014-15	-	-	146.12	125.78	388.01	373.31	-	35.04
2015-16	-	-	168.58	168.58	350.93	337.30	-	13.63
2016-17 (02/2017 तक)	-	-	104.00	51.61	352.73	314.31	-	90.90

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त (☐ लाख में)	व्ययाधिक्य (☐ लाख में (+))	बचत (☐ लाख में (+))
2011-12	एस.पी.ए. कोसी बैराज	-	-	-	-
2012-13	-	-	500.00	500.00	-
2013-14	-	-	1000.00	1000.00	-
2014-15	-	-	1057.83	1057.83	-
2015-16	-	-	801.00	801.00	-
2016-17(02/2017तक)	-	-	333.33	38.84	294.49

2011-12	सी.एस.एस.आर.के अंतर्गत बाढ़ सुरक्षा कार्य	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-	-
2013-14	-	-	5.73	5.73	-
2014-15	-	-	122.29	122.29	-
2015-16	-	-	77.74	77.74	-
2016-17 (02/2017तक)	-	-	52.86	52.86	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, नाबार्ड एवं निक्षेप कार्यों के अंतर्गत किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

अधिशासी अभियंता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, अल्मोड़ा** के माह 04/2011 से 02/2017 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2014, जून 2014, मार्च 2013, जनवरी 2017 एवं नवम्बर 2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में निरक्षण नहीं किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी माह 03/2013 तक की गई।
5. फार्म 51: माह फ़रवरी 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ` 871922.00

   भाग द्वितीय ` 228560.14
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह फरवरी 2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 924963.00

   (ख) सामग्री क्रय ☐ शून्य

   (ग) नगद परिशोधन ☐ शून्य

   (घ) निक्षेप ` 22447047.00

   (ङ) भण्डार ` (-1533017.00)

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 : ☐ 17.33 लाख की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप में जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के प्रस्तर 622 (III) निहित प्रावधान के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष से अधिक समयावधि की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप के रूप में डाल दी जानी चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2017) में पाया गया कि निक्षेप पंजिका के भाग-2 में ☐ 17,33,404.00 की धनराशि विगत 3 वर्षों से पड़ी हुयी थी जिसे खण्ड द्वारा शासकीय खाते में व्यपगत निक्षेप के रूप में जमा नहीं कराया गया था।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया कि भाग-2 में जमा धनराशि DEFECT LIABILITY PERIOD के पश्चात ठेकेदार की मांग पर वापस की जाती है।

खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा वित्तीय नियमानुसार ☐ 17,33,404.00 की अदावित धनराशि व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते में जमा नहीं कराई गई थी।

अतः ☐ 17.33 लाख की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप में जमा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	भाग-2 अ	भाग-2 ब	स्टेन
1.	53/2004-05	-	1	-
2.	96/2002-2006	1	1,2	-
3.	10/2007-08	1	1,2	-
4.	19/2008-09	-	1	-
5.	09/2011-12	-	1,2,3,4	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्यः- ऐसा कोई कार्य अवलोकित नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः शून्य**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री नवीन सिंघल	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।
   1. श्री अरविन्द कुमार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2